न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 43/2018

उनवान

1. रामकरण पुत्र संग्राम
2. देवकरण पुत्र संग्राम
3. लक्ष्मण पुत्र संग्राम
4. भंवरी पत्नी संग्राम
5. राधा पुत्री संग्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 7.12.21

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा के वर्किंग व हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण की पुश्तैनी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
895 मिन	5–0–0	1511	0.46
895 मिन	2–4–0	1518	0.48
		1519	0.24
		1520	0.33
		1521	0.17
		1525	0.05
		152[illegible]	[illegible]
		1528	[illegible].23

उपरोक्त आराजर वर्किंग जमाबंदी में खाता [illegible] नम्बर 895 मिन रकबा 5–0–0 संग्राम पुत्र छोगा के नाम [illegible] तथा पुराने [illegible] नम्बर 895 मिन रकबा 2–4–0 खाता संख्या 221/245 में संग्राम पु[illegible] के नाम [illegible]दारी दर्ज थी। उक्त दो[illegible] खसरा नम्बर की आराजी नामान्तकरण संख्या 97 से वादीगण के [illegible] जरियें विरासत दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी को वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः हाल खसरा नम्बर 1511, 1518, 1519, 1520, 1521, 1525, 1527, 1528 रकबा क्रमशः 0.46, 0.48, 0.24, 0.33, 0.17, 0.05, 0.25, 0.23 की आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 895 मिन रकबा 5–0–0 खाता संख्या 162 में नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 18.01.05 से भंवरी पत्नी संग्राम, रामकरण, देवकरण, लक्ष्मण पि. संग्राम, राधा पुत्री संग्राम जाति गुर्जर के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 895 रकबा 2–4–0 खाता संख्या 221 में नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 15.12.07 से उक्त काश्तकार के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर सिवायचक दर्ज है। अतः वादी का वाद निरस्त योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख मे वादीगण/पूर्वजो की खातेदारी थी?

—— वादीगण

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादीगण

3. अनुतोष ?

टधिवक्ता वादीगण ने वाद विचारण के दौरान वाद में प्रार्थना पत्र पेश कर संशोधित वाद पेश किया तथा निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.46, 1518 रकबा 0.48, 1521 रकबा 0.17, 1525 रकबा 0.05 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी रामकरण के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व राज0 पैरोकार के जवाब अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 895 मिन रकबा 5–0–0 खाता संख्या 162 में नामान्तकरण संख्या 216 दिनांक 18.01.05 से भंवरी पत्नी संग्राम, रामकरण, देवकरण, लक्ष्मण पि. संग्राम, राधा पुत्री संग्राम जाति गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 895 रकबा 2–4–0 खाता संख्या 221 में नामान्तकरण संख्या 197 दिनांक 15.12.07 से उक्त काश्तकार के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किग खसरा नम्बर 895 कुल रकबा 7–4–0 वादीगण के पूर्वज व उसके बाद वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्किंग जमाबंदी से भी वादीगण के कथनों की ताईद होती है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेंज पेश नही किये है। तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार पूर्व राजस्व अभिलेख में वंर्किग खसरा नम्बर 895 रकबा 7–4–0 की आराजी वादीगण के पूर्वज व उनके बाद विरासत से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज थी। वंर्किग खसरा नम्बर 895 का कुल रकबा 7–4–0 है जिसके हाल खसरा नम्बर 1511, 1518, 1519, 1520, 1521, 1525, 1527, 1528 रकबा क्रमशः 0.46, 0.48, 0.24, 0.33, 0.17, 0.05, 0.25, 0.23 बने है जो कि सिवायचक खाते में दर्ज है। बंदोबस्त विभाग को विना किसी आदेश पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। इसके उपरान्त भी हाल राजस्व अभिलेख में साबिक खसरा नम्बर का समस्त रकबा त्रुटिपूर्ण से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। राज0 पैरोकार ने भी यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा को किस कारण

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व राजस्व अभिलेख ... के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्दाज त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता ... वादीगण ने अपने वाद में हाल खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.46, 1518 रकबा 0.48, 1521 रकबा 0.17, 1525 रकबा 0.05 कुल रकबा 1.16 है0 आराजी का अनुतोष चाहा है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादीगण का कब्जा काश्त हाल खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.46, 1518 रकबा 0.48, 1521 रकबा 0.17, 1525 रकबा 0.05 कुल रकबा 1.16 है0 की आराजी पर है तथा यह सभी खसरा नम्बर आपस में लगायत है। अतः वादीगण हाल खसरा 1511 रकबा 0.46, 1518 रकबा 0.48, 1521 रकबा 0.17, 1525 रकबा 0.05 कुल रकबा 1.16 है0 आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.46, 1518 रकबा 0.48, 1521 रकबा 0.17, 1525 रकबा 0.05 कुल रकबा 1.16 है0 आराजी पर वादीगण का वाद **स्वीकार** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामकरण बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 43/2018
पेश करने की दिनांक – 16.4.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई प्रतिवादी राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बैवंजा के हाल खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.46, 1518 रकबा 0.48, 1521 रकबा 0.17, 1525 रकबा 0.05 कुल रकबा 1.16 है0 आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमे में **भय** सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 12 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:40 IST
Reason: SelfAttested